राष्ट्रीय बाल-श्रम परियोजनाएं मंजूर की गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान राज्य में 24 विशेष स्कूलों में 200 बच्चों को दाखिला दिलाया गया है।

(ग) और (घ) बाल श्रम (प्रतिषेघ और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों और व्यवसायों में बालकों को नियोजित करने वाले नियोजकों को अभियोजित किया जा सकता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार बाल श्रम (प्रतिषेघ और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए 1995-96 के दौरान 415 नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाये गये।

Grants-in-aid to NGOs under different schemes

1730. PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

- (a) the total amount of money given to various NGOs in the country as grants-inaid schemes of the Ministry during the last five years; and
- (b) which is the name of the monitoring agency or the system evolved to monitor these schemes?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) The total amount of money given to various NGOs in the country during the last five years is as below:

(Rs. in crores)

	\
1991-92	19.36
1992-93	33.52
1993-94	48.02
1994-95	74.56
1995-96	67.67

(b) The Government of India and the State Governments/UTs monitor the implementation of the schemes and the performance of the NOGs through a system of inspections and half-yearly reports.

हैवी इंजीनियरिंग निगम को चालू करने के लिए अधिगृहीत की गई भूमि

1731. श्री ज्ञान रंजनः क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या एच.ई.सी. को चालू करने के समय जमन्नाथपुर, कंट, धुर्वा, तपंजी, हड़सर सहित 33 गांवों की 8871.4 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी;
- (ख) क्या विस्थापित 591 परिवारों के किसी भी व्यक्ति को अभी तक नौकरी नहीं दी गई है;
- (ग) क्या इस समय एच.ई.सी. का सम्पर्क प्रकोष्ठ तथा समुदाय विकास कार्य नहीं चल रहे हैं;
- (घ) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विस्थापित परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी देने तथा विस्थापित गांवों में समुदाय विकास कार्य करने का विचार रखती हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो यह कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुससोली मारन): (क) बिहार सरकार ने एच.ई.सी. की स्थापना के लिए 7199.53 एकड़ भूमि अधिगृहीत की थी, जिसमें से 316.19 एकड़ भूमि बिहार सरकार ने अन्य उद्देश्यों के लिए वापस ले ली थी और एच.ई.सी. के पास 688.34 एकड़ भूमि शेष बची थी।

- (ख) एच.ई.सी. ने प्रति विस्थापित परिवार एक व्यक्ति की दर से रोजगार उपलब्ध कराया था। इस मामले की जांच शंकरन समिति (1977) द्वारा भी की गई थी तथा उसकी सिफारिशों के अनुरूप, 193 ऐसे व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जिन्होंने प्रबंधन से अनुरोध किया था।
- (ग) संपर्क कक्ष अब कार्य नहीं कर रहा है।सामुदायिक विकास कार्य चल रहा है।
- (घ) और (ङ) एच.ई.सी. में बेशी जनशक्ति है। कम्पनी में स्वैच्छिक सेवा निवृति स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। अतः, यह और रोजगार देने की स्थिति में नहीं है।